मोदी जी सचमुच चमत्कारी हैं, जानिये कैसे ?

राफेल डील : समझौते से 12 दिन पहले बनी रिलायंस कंपनी के पास न लाइसेंस था और न ही जमीन और बिल्डिंग

ख़ास रपट, जनचौक ब्यूरो

मोदी सरकार द्वारा फ्रांस से किए गए राफेल समझौते में झोल ही झोल है। ये देश में क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे जीता जागता उदाहरण है। सरकार ने गोपनीयता का हवाला देकर सौदे के बारे में भले ही न बताया हो लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं वो किसी को भी चौंकाने के लिए काफी हैं। मसलन रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहती हैं कि किसी तरह का आफसेट समझौता नहीं हुआ है। लेकिन रिलायंस प्रेस रिलीज जारी कर न केवल समझौते के बारे में विस्तार से बताता है बल्कि सरकार द्वारा छुपायी जा रही राफेल की कीमतों का भी खुलासा कर देता है।

पूरी डील अंतरविरोधों से भरी पड़ी है। अनिल अंबानी की जो कंपनी फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट से डील करती है वो समझौते से महज 12 दिन पहले बनाई जाती है। और सबसे खास बात ये है कि एयरक्राफ्ट बनाने का लाइसेंस तक उसके पास नहीं था। और न ही जमीन, बिल्डिंग और जरूरी ढांचा। ऊपर से कंपनी का जो पता दिया गया था उसका मालिकाना भी उसके पास नहीं था। नतीजे के तौर पर एक झूठ को छिपाने के लिए सरकार को अब हजार झूठ बोलने पड़ रहे हैं।

अब आइये पूरे विस्तार से मामले को समझते हैं। यूपीए सरकार के शासन में 13 मार्च 2014 को फ्रांस की डसाल्ट कंपनी के साथ सौदा हुआ था। जिसमें 18 विमान खरीदे जाने थे और बाकी भारत सरकार की कंपनी एचएएल द्वारा बनाए जाने थे। और उसके साथ 36,000 करोड़ का आफसेट समझौता हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही इस समझौते को रद्द कर दिया। 10 अप्रैल 2015 को डिफेंस आफसेट कांट्रैक्ट एक निजी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को चला गया। जिसे लड़ाकू विमान बनाने का जीरो अनुभव था। यहां तक कि पीएम द्वारा 10 अप्रैल 2015 को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की घोषणा से 12 दिन पहले (28 मार्च 2015) रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी का निर्माण हुआ। खास बात ये है कि इस कंपनी के पास लड़ाकू विमान बनाने का कोई लाइसेंस नहीं था।

दिलचस्प बात ये है कि लाइसेंस रिलायंस की उस कंपनी को मिलता है जो राफेल सौदे में कहीं दूर-दूर तक सीन में नहीं थी। *रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड* नाम की इस कंपनी को *22 फरवरी 2016 को लाइसेंस मिलता है। लेकिन उस समय न तो उसके पास अपनी जमीन थी न ही बिल्डिंग समेत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर।* इससे भी ज्यादा चकित करने वाली बात ये है कि *रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का निर्माण सौदा घोषित होने के 14 दिन बाद यानी 24 अप्रैल 2015 को हुआ। सौदे की घोषणा पीएम द्वारा 10 अप्रैल 2015 को की गयी थी।*

और उससे भी ज्यादा चकित करने वाला खुलासा तब होता है जब रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 30,000 करोड़ के डिफेंस ऑफसेट कांट्रैक्ट के होने से इंकार कर देती हैं।

जबकि रिलायंस खुद अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस पूरे सौदे का खुलासा करता है। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड डसाल्ट एविएशन के साथ न केवल 30,000 करोड़ रुपये के आफसेट कांट्रैक्ट की बात करता है बल्कि 1 लाख करोड़ रुपये के लाइफसाइकिल कॉस्ट कांट्रैक्ट की भी जानकारी देता है। *रिलायंस ने ये जानकारी 16 फरवरी 2017 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी थी।*

यहां तक कि *डसाल्ट एविएशन भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिलायंस के साथ आफसेट समझौते की बात बतायी है।*

इसके विपरीत *रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने 7 फरवरी 2018 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में डसाल्ट एविएशन के साथ आफसेट कांट्रैक्ट की बात को खारिज कर दी थी।* अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन झूठ बोल रहा है। निर्मला सीतारमन या रिलायंस या फिर डसाल्ट एविएशन ?

खास बात ये है कि इस मामले में *रक्षा संबंधी सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया।* जिस सुरक्षा और गोपनीयता के नाम पर सरकार बचने की कोशिश कर रही है खुद सरकार ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। किसी भी आफसेट कांट्रैक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा नियम बना रखे हैं और उसकी बहुत सारी पूर्व शर्तें हैं। जिसको बगैर पूरा किए कोई भी समझौता नहीं हो सकता है।

रक्षामंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद डिफेंस आफसेट मैनेजमेंट विंग के तहत इस गाइड लाइन को कोई भी पढ़ सकता है। जिसमें निम्न बातें कही गयी हैं-

1- सभी आफसेट प्रस्ताव रक्षामंत्री द्वारा पारित किए जाएंगे। साथ ही आफसेट कांट्रैक्ट पर रक्षामंत्रालय के एक्वीजीशन मैनेजर का भी हस्ताक्षर होगा।

2- आफसेट कांट्रैक्ट की प्रगति की हर छह महीने पर डिफेंस आफसेट मैनेजमेंट विंग द्वारा नामित किसी अफसर से आडिटिंग होगी।

3- एक्वीजीशन विंग डिफेंस एक्वीजीशन कौंसिल के सामने इसकी वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी। और इस मामले में किसी तरह की नाकामी पर कंपनी के ऊपर जुर्माना लगेगा।

अब इसमें सवाल उठता है कि क्या रिलायंस और डसाल्ट एविएशन के बीच हुआ 30,000 करोड़ का आफसेट कांट्रैक्ट बगैर रक्षामंत्री की संस्तुति के किया गया? क्या उस पर एक्वीजीशन मैनेजर के हस्ताक्षर हुए थे? छह महीने में आडिट की खानापूर्ति क्यों नहीं की गयी? क्या एक्वीजीशन कौंसिल ने कोई वार्षिक रिपोर्ट पेश की थी?

अब बात करते हैं रिलायंस को मिले लाइसेंस पर। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस इंडस्ट्रियल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1951, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस आफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रूल्स 1952 और न्यू आर्म्स रूल्स 2016 के तहत मिलते हैं।

दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों रिलायंस डिफेंस लिमिटेड और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को *लड़ाकू विमान बनाने का जीरो अनुभव है।*

वास्तव में *समझौते से 12 दिन पहले रिलायंस डिफेंस लिमिटेड* का निर्माण हुआ। जबकि *रिलायंस एरोस्ट्रक्चर का समझौते के 15 दिन बाद 24 अप्रैल 2015* को निर्माण हुआ। फिर कंपनी ने 2015 में लड़ाकू विमान बनाने की खातिर जरूरी लाइसेंस के लिए आवेदन किया और उसे वाणिज्य मंत्रालय ने 22.02.2016 को दे दिया। गौरतलब है कि उस समय निर्मला सीतारमन ही वाणिज्य मंत्री थीं।

***अब आइये एक दूसरे फ्राड की बात करते हैं।* लड़ाकू विमान निर्माण के लाइसेंस के लिए दिए गए अपने आवेदन में रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने कंपनी का पता और लोकेशन सर्वे नंबर-589, तालुका जाफराबाद, गांव लुंसापुर, जिला अमरेली, गुजरात दिया था। उस समय इस जमीन का मालिकाना रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के पास नहीं था। ऊपर बताया गया पता पिपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से दर्ज था। यहां तक कि लाइसेंस मिलने के दिन यानी 22 फरवरी 2016 तक इसका मालिकाना रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के पास नहीं था। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने इस कंपनी को 18 जनवरी 2016 को अधिग्रहीत कर इसका नाम रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर दिया। ये रिलायंस के 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में देखा जा सकता है।**

बाद में रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को 28 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित मिहान सेज में 104 एकड़ जमीन आवंटित की गयी। जिसमें उसकी कीमत तकरीबन 63 करोड़ बतायी गयी है। और मजेदार बात ये है कि इस रकम को जुलाई 2017 में अदा किया गया।

पानी पीने जैसे साधारण से काम में मस्तिष्क के कितने केंद्रों की भूमिका हो सकती है?

मान लीजिए आपको प्यास लगी है और गला सूख रहा है । ऐसी स्थिति में सबसे पहले गले से रिज़ीशन यानी एक निवेदन मस्तिष्क तक जाता है । प्यास लगी है प्यास लगी है।

जैसे ही यह निवेदन मस्तिष्क तक पहुंचता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की मीटिंग में क्षण मात्र में यह तय किया जाता है कि पिछली बार जब प्यास लगी थी तो क्या किया गया था ।

ऐसे समय बचपन में माँ द्वारा पानी पिलाने से लेकर खुद पानी पीने तक की स्मृतियाँ क्षण मात्र में दोहराई जाती हैं । और कुछ पीने की स्मृति भी रहती है लेकिन मस्तिष्क यह तय करता है कि बेहतर तरीके से प्यास पानी से ही बुझाई जा सकती है।

इसके बाद यह निवेदन वाली फाइल वहाँ से आदेश विभाग में जाती है , जहाँ से तुरंत आदेश जारी होता है, प्यास लगी है तो फिर पानी पियो।

इसके बाद आप के अवचेतन से मटके फ्रिज या आर ओ का चित्र मीटिंग में प्रस्तुत किया जाता है । तय है अगर पानी का मटका या बर्तन आपसे दूर है तो इसके लिए वहाँ तक आपको जाना होगा । सो इसके क्रियान्वयन के लिए आदेश केंद्र द्वारा पाँवों को आदेश दिया जाता है, अपनी जगह से उठो और मटके तक जाओ।

फलस्वरूप हम अपनी कुर्सी से उठते हैं और पानी के टैप तक या मटके या फ्रिज तक जाते हैं । अब मस्तिष्क द्वारा हाथों को आदेश दिया जाता है, फ्रिज से बॉटल निकालो या गिलास उठाओ उसे मटके में डुबाओ और उसमें पानी लेकर मुँह तक ले जाओ।

फिर मुंह को आदेश दिया जाता है, पानी गले से नीचे उतारो। इस तरह हम कुछ क्षणों में ही पानी पी लेते हैं और अपनी

प्यास बुझाते हैं।

लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाती है जैसे एक आदेश पर दूसरा आदेश हावी हो जाता है । मान लीजिये एक आदेश आपके पांवों तक पहुँच गया कि उठो और मटके या फ्रिज या पानी के बर्तन तक जाओ कि अचानक आपके मस्तिष्क के प्लानिंग सेंटर से यह सन्देश आता है कि भाई अभी काम बहुत है , या अभी आप मोबाइल पर बिजी हैं या कविता या लेख लिख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वह पानी पीने हेतु उठकर जाने के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए अभी मत उठो ।

लेकिन प्यास की रिचिजिशन यानि निवेदन पर्ची तो पहले ही मस्तिष्क तक जा चुकी है और गला विद्रोह कर रहा है।अब क्या होगा ? ऐसी स्थिति में मस्तिष्क का यह केंद्र दूसरा आदेश जारी करता है जो आपकी जीभ तक जाता है, जीभ इस तरह हिलती है कि गले से आवाज़ निकलती है, सुनती हो ..ज़रा एक गिलास पानी पिला दो प्यास लगी है।

पत्नी के कानों के माध्यम से यह आवाज़ उसके सुनने वाले श्रवण केंद्र तक पहुंचती है और वहां से आदेश केंद्र तक जाती है जहाँ से उसके लिए आदेश जारी होता है ..तुम्हारा आलसी पति प्यास से मर रहा है उसे पानी पिलाओ । (अच्छा है यह आदेश आलसी पतियों को सुनाई नही देता)

यह काम भी मस्तिष्क के आदेश केंद्र से होता है यानि पति के मस्तिष्क द्वारा उसके पांवो और हाथों के लिए जारी किया पहला ऑर्डर यथावत या स्टैंडबाई रहते हुए ज़ुबान के लिए दूसरा ऑर्डर जारी हो जाता है ।

अब मान लीजिये आपकी पत्नी ने आपका आदेश नहीं सुना या वह किसी काम में व्यस्त है तो कहती है, मेरे हाथ आटे से सने हैं जी ..खुद लेकर पी लो। ऐसी स्थिति में फिर पहला स्टैंड बाय आर्डर काम करता है , यानी आप खुद उठते हैं और किचन में मटके तक चलकर जाते हैं और जाकर पानी पीते हैं ।

अगर घर मे आपकी रेप्युटेशन अच्छी है या पत्नी आपका आदेश मानती है अथवा उस समय व्यस्त नही है तो वह आपको पानी पिला देती है। ऐसी स्थिति में आदेश केंद्र से जारी हुआ *खुद जाकर पानी पीओ* वाला पहला आर्डर खुद ब खुद कैंसल हो जाता है।

अब थोड़ी टेक्निकल बात कि यह कैसे होता है। पानी पीने की इस क्रिया को थोडा तकनीकी रूप से भी समझ लें। पीने की क्रिया में सबसे पहले आप दृष्टिकेंद्र के माध्यम से ग्लास और मटके को पहचानते हैं। वहाँ से यह सूचना इलेक्ट्रो बायो केमिकल इम्पल्सेस द्वारा कोर्टेक्स के फ्रंटल लोब में आती है..भाई, किसी तरह ग्लास और मटके तक पहुंचना है।

फिर वहां स्थित न्यूरांस , इम्पल्सेस के माध्यम से इस सूचना को मोटर कोर्टेक्स के आदेश केंद्र में भेजते हैं जहाँ पहले से ग्लास और मटके का बिम्ब दृष्टि केंद्र से पहुँच जाता है ।

अब मोटर कॉर्टेक्स का यह आदेश केंद्र योजना बनाता है कि हाथ को ग्लास तक कैसे भेजा जाये । फिर यह मोटर कॉर्टेक्स , सेंट्रल ग्रे न्युक्लेई और सेरेबलम जो मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है को आवाज़ देता है और उसके सहयोग से हाथ की मसल्स को आदेश देता है कि ओ प्यारी सशक्त मांसपेशियों तुम्हें ग्लास उठाना है।

पांवों को आदेश देता है कि प्यारे पगबन्धुओं अपनी जोड़ी सहित हिलो और मटके तक पहुँचो । यह आदेश हमारी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित न्युरोंस जिनका सम्बन्ध सीधे हाथ पैर की मसल्स से होता है के माध्यम से जैसे ही पांव और हाथ तक पहुंचता है , हम उठते हैं और ग्लास को मटके में डुबाते हैं और मुँह तक ले जाकर पानी पी लेते हैं । यह काम इतनी द्रुत गति से न्युरोंस और मसल्स के बेहतरीन समन्वयन से होता है कि इसमें कहीं कोई चूक नहीं होती ।

हाँ उस वक्त आपका ध्यान कहीं और हो तो ग्लास हाथ से छूटने की संभावना हो सकती है। सुनिए, पानी बहुत कीमती चीज़ है इसे व्यर्थ मत गंवाइए । वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मस्तिष्क आदेश तो देगा कि पानी पियो लेकिन आपके मटके सूखे पड़े होंगे । और फिर आपको प्यास से मरना पड़ेगा । राजस्थान में जाकर देखिए मीलों दूर से पानी लाती हैं औरतें । पानी की तंगी क्या होती है गर्मी के दिनों में आप महसूस कर सकते हैं । हम उस वक्त पानी की कमी महसूस करते हैं लेकिन बारिश में पेड़ लगाना भूल जाते हैं । सो पानी की रक्षा करें , वरना जब पानी नहीं होगा आप शहज़ाद अहमद का यह शेर गुनगुनाने लायक भी नहीं रहेंगे-

मर गये प्यास के मारे तो उठा अबरे करम
बुझ गई बज़्म तो अब शम्मा जलाता क्या है

-शरद कोकास